परिपत्र संख्या 16 / 2017

राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.

''पंजीयन–भवन'' अजमेर

क्रमांक : एफ–7(39)जन / 2017 / 13683 दिनांक : 24.10.2017

–:: परिपत्र ::–

विषय : दस्तावेजों के साथ संलग्न चैकलिस्ट फार्म के समस्त कॉलम्स की पूर्ति एवं कॉलम संख्या–6 के संशोधन के संबंध में।

मुद्रांक एवं पंजीयन मार्गदर्शिका–2015 के परिपत्र संख्या 3 / 2015 में दस्तावेज के पंजीयन की प्रकिया के बिन्दु संख्या–2 (क) (ख) (i) में दस्तावेज के साथ समस्त विवरण निर्धारित कॉलम में भरी हुई चैकलिस्ट के साथ पेश करना आवश्यक है। चैकलिस्ट दस्तावेज का ही भाग है। चैकलिस्ट का प्रारूप राजस्थान स्टाम्प नियम–2004 के नियम–57 के अन्तर्गत संलग्न करना अनिवार्य है।

प्रायः यह देखा गया है कि चैकलिस्ट एक अनिवार्य दस्तावेज होने के उपरान्त भी पक्षकारों द्वारा आधी–अधूरी पूर्ति कर दस्तावेज के साथ संलग्न की जाती है जिस पर पंजीयन कार्यालय द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जाता एवं आधी–अधूरी चैकलिस्ट को ही स्वीकार कर दस्तावेज पंजीयन की कार्यवाही कर दी जाती है जो उचित नहीं है। चैकलिस्ट में दिए गए समस्त कॉलमों की पूर्ति आवश्यक है। चैकलिस्ट फार्म के कॉलम संख्या–6 की पूर्ति अभी भी अधिकाशंतः उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा बिना कराये दस्तावेज स्वीकार कराये जा रहे है जिसके कारण कृषि भूमि की वास्तविक स्थिति यथा खसरा नम्बर, मुख्य सडक, हाइवे, आबादी के समीप होने नहीं होने आदि एवं उस पर निर्मित कुएँ–ट्यूबवेल की जानकारी के अभाव में ई–पंजीयन कार्यवाही के अन्तर्गत भूमि के लोकेशन की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है एवं डी.एल.सी. प्रावधान अनुसार मूल्यांकन नहीं हो पाता है।

EODB के तहत ई–पंजीयन को एल.आर.सी. प्रोजेक्ट से लिंक कर दिया गया है जिससे कृषि दस्तावेज के पंजीयन होते ही स्वतः ही नामान्तरणकरण की कार्यवाही सुनिश्चित हो सके, इस हेतु चैकलिस्ट के सभी कॉलम की स्पष्ट एवं पूर्ण पूर्ति होना आवश्यक है जिससे एल.आर.सी. के अन्तर्गत भूमि के नामान्तरणकरण में सही इन्द्राज हो सके। पूर्व में जारी चैकलिस्ट के कॉलम संख्या–6 को संलग्नानुसार संशोधित किया गया है। कॉलम संख्या–6 की पूर्ति अनिवार्य रूप से करवाना सुनिश्चित करें। यदि पक्षकार द्वारा कृषि दस्तावेजों में कॉलम संख्या–6 की पूर्ति पूर्ण नही करता है, तो दस्तावेजों को पंजीयन हेतु स्वीकार नहीं किया जावें एवं पक्षकार को पूर्ति हेतु निर्देशित किया जावें।

समस्त उप पंजीयकों को निर्देशित किया जाता है कि एल.आर.सी. का ई–पंजीयन से लिंक होने से कॉलम संख्या–6 की पूर्ति अत्यन्त आवश्यक है इसी के आधार पर पक्षकार का नामान्तरणकरण खोला जावेगा। अतः इस ओर विशेष ध्यान देकर कॉलम्स की पूर्ण पूर्ति के पश्चात् ही दस्तावेजों को पंजीयन हेतु स्वीकार किया जाना सुनिश्चित करें, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जावें। पक्षकारो का नाम अंग्रेजी के साथ–साथ हिन्दी में भी लिखा जाना अनिवार्य है ताकि नामान्तरणकरण में सही नाम का इन्द्राज हो सकें। भविष्य में यदि किसी पंजीयन अधिकारी द्वारा अपूर्ण चैकलिस्ट के आधार पर दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार करना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

संलग्न–नवीन चैकलिस्ट फार्म

24/10/17

महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर

क्रमांक : एफ—7(39)जन/2017/ 13684-14284 दिनांक : **24.10.2017**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि पूर्व में अनुमोदित चैकलिस्ट के कॉलम संख्या 6 को संशोधित किया गया है जो अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।
3. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक—डी, वित्त भवन, जयपुर।
7. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान।
8. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना—विज्ञान केन्द्र इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
10. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र में दिए गए निर्देशो की पूर्ण पालना करना सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान—अजमेर